।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर०ए०एस०

राजस्व वाद सं० 1/101 तारीख रज्जू 05.09.2016 2016/544

01– रहमूदीन पुत्र स्व० जल्लू जाति मेव निवासी ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर –वादी

बनाम

01– समसू पुत्र स्व० अली खॉ जाति मेव

02– कपूर पुत्र स्व० अली खॉ जाति मेव, निवासीयान ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर –असल प्रतिवादीगण

03– स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर (कृषि विकास शाखा) अलवर जर्ये प्रबन्धक

04– राजस्थान राज्य जर्ये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार साहब, मालाखेडा जिला अलवर **–तकमीली प्रतिवादीगण**

05– चन्दरी पत्नी स्व० जल्लू जाति मेव निवासी ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर **–तरतीबी प्रतिवादनी**

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

–: निर्णय :– **दिनांक: 30.10.2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 2283 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 4203 रकबा 0.07 है०, 4204

सहायक कलक्टर अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

रकबा 1.54 है०, 4207/4921 रकबा 0.06 है० कुल किता 3 रकबा 1.67 है वाके ग्राम मालाखेडा में स्थित है। वादग्रस्त आराजी का काबिज खातेदार काश्तकार मामला था। जिसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र जल्लू एवं अली खां को उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई। जमाबन्दी 2038 से 2041 व 2047 से 2050 में समसू कपूर पि० अली खां समभाग नाबालिग सरपरस्त माता चन्दरी 1/2 हिस्सा व जल्लू पुत्र मामला 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। सम्वत 2051 में बन्दोबस्त कर्मचारियान द्वारा वादग्रस्त समस्त आराजी समसू व कपूर पुत्रान अली खां के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि वादी एवं प्रतिवादीगण 1/2 हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी पटवारी हलका के पास नकल के लिए गया तो गलत इन्द्राज की जानकारी हुई। प्रतिवादीगण ने उक्त गलत इन्द्राज की आड में प्रतिवादी संख्या–3 से ऋण लिया हुआ है। वादी ने अपने 1/2 हिस्से में रिहायश के लिए मकान बनाये हुए है एवं बोरिंग कराई हुई है। जिससे अपनी आराजी की सिंचाई करता है एवं प्रतिवादीगण ने भी बोरिंग की हुई है। विवादित आराजी का बटवारा नही हुआ है। शामलात में ही वादी एवं प्रतिवादीगण काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी सालिम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की नही है। रफा–ए–हुज्जत वाद में प्रतिवादी संख्या–3 को बनाया गया है। रहन की राशि चुका दी गई है, किन्तु ऋण का फक रहन का इन्तकाल दर्ज नही हुआ है। प्रतिवादी गलत इन्द्राज की आड में रहन, बय हिबे द्वारा बेचान करने पर तुले हुए है एवं सुख शान्ति से काश्त नही करने दे रहे है। यदि गलत इन्द्राज की आड में आराजी का बेचान कर दिया तो वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

अतः वादग्रस्त आराजी साबिक आराजी खसरा नम्बर 2283 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 4203 रकबा 0.07 है०, 4204 रकबा 1.54 है०, 4207/4921 रकबा 0.06 है० कुल किता 3 रकबा 1.67 है

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

वाके ग्राम मालाखेडा तहसील अलवर में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सालिम आराजी का खातेदार दर्ज किया हुआ है जिसे कलमजन किया जाकर वादी 1/2 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/2 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी को रहन, बय हिबे द्वारा मुन्तकिल ना करे तथा वादी को उसके हिस्से से बेदखल नही करने बाबत न्यायालय को निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस से तलब किया गया। प्रतिवादीगण जर्ये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 3 एवं 5 के विरूद्ध दिनांक 06.04.2018 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

साक्ष्य में वादी ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया एवं दस्तावेजात पर प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2047, प्रदर्श–2 मिसल हकीयत सम्वत 2051 से 2070, प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073, प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2038 से 2041 डाले गये।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सम्वत 2051 में सैटलमेन्ट कर्मचारियान द्वारा दर्ज किये गलत इन्द्राजात को दुरूस्त कर वादी तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या–5 को वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। वकील वादी की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी पूर्व में मामला के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। मामला की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जल्लू व अली खां को वादग्रस्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई। जमाबन्दी सम्वत 2038 से 2041 व 2047 से 2050 में वादी एवं प्रतिवादीगण का 1/2 – 1/2 हिस्सा दर्ज है। सम्वत 2051 में बन्दोबस्त कर्मचारियान द्वारा समस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज कर दी गई, जो गलत है।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

अतः वादग्रस्त आराजी साबिक आराजी खसरा नम्बर 2283 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 4203 रकबा 0.07 है०, 4204 रकबा 1.54 है०, 4207/4921 रकबा 0.06 है० कुल किता 3 रकबा 1.67 है वाके ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जमाबन्दी सम्वत 2051 में बन्दोबस्त कर्मचारियान द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 समसू एवं प्रतिवादी संख्या–2 कपूर को खातेदार दर्ज कर दिया गया जिसे कलमजन किया जाता है तथा वादी रहमूदीन पुत्र जल्लू एवं तरतीबी प्रतिवादनी संख्या–5 चन्दरी पत्नी जल्लू को वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या–1 समसू व प्रतिवादी संख्या–2 कपूर पुत्रान अली खां को 1/2 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम तथा प्रतिवादीगण के नाम का इन्द्राज उनके हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) अलवर (राज०)
सत्यमेव जयते

(देवेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर

न अधिकारी: देवेन्द्र सिंह परमार RAS

उनवान

रहमूदीन पुत्र स्व० जल्लू जाति मेव निवासी ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर

–वादी

बनाम

समसू पुत्र स्व० अली खॉ जाति मेव

कपूर पुत्र स्व० अली खॉ जाति मेव, निवासीयान ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर

–असल प्रतिवादीगण

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर (कृषि विकास शाखा) अलवर जर्ये प्रबन्धक

राजस्थान राज्य जर्ये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार साहब, मालाखेडा जिला अलवर

–तकमीली प्रतिवादीगण

चन्दरी पत्नी स्व० जल्लू जाति मेव निवासी ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर

–तरतीबी प्रतिवादनी

वा बाबत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

कदमा नम्बर :– 1/101 तारीख रज्जू 05.09.2016

र्णय दिनांक :– 30.10.2019

वादी की ओर से श्री विनोद शर्मा, अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से X अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.10.2019 को सहायक कलक्टर, अलवर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादग्रस्त आराजी साबिक आराजी खसरा नम्बर 2283 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 4203 रकबा 0.07 है०, 4204 रकबा 1.54 है०, 4207/4921 रकबा 0.06 है० कुल किता 3 रकबा 1.67 है वाके ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जमाबन्दी सम्वत 2051 में बन्दोबस्त कर्मचारियान द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 समसू एवं प्रतिवादी संख्या–2 कपूर को खातेदार दर्ज कर दिया गया जिसे कलमजन किया जाता है तथा वादी रहमूदीन पुत्र जल्लू एवं तरतीबी प्रतिवादनी संख्या–5 चन्दरी पत्नी जल्लू को वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या–1 समसू व प्रतिवादी संख्या–2 कपूर पुत्रान अली खां को 1/2 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी तथा प्रतिवादीगण के नाम का इन्द्राज उनके हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 30.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर, अलवर

सहायक कलक्टर अलवर (राज०)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4........ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामील	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशित की तामील कमिश्नर की फीस	रूपया

Scanned by CamScanner